राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–:प्रेस नोट:– दिनांक: 17.10.2023

आयोग द्वारा पूर्व में जारी प्रेस नोट दिनांक 24.08.2023 एवं 29.08.2023 के क्रम में दिनांक 4.11.2023 व 5.11.2023 को आयोजित की जाने वाली कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि एवं विधिक कार्य विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा में **प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिये जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये एक विकल्प को भरना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5 वें विकल्प "Question Not Attempted/ अनुत्तरित प्रश्न'' का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन न करने पर ऐसे प्रश्न के प्रश्न–अंक का 1/3 भाग काटा जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा हेतु अयोग्य माना जाएगा।**

समस्त प्रश्नों में किसी एक विकल्प का चयन कर उसे भर दिया गया है यह सुनिश्चित करने के लिए **10 मिनट का अतिरिक्त समय** भी अभ्यर्थियों को दिया जाएगा।

(रामनिवास मेहता)
सचिव